

दिनांक-22/11/15-7-15 1471/1995

प्रमुख,

श्री आर्य समाज,
राज्य शाखा,
उत्तर प्रदेश भवन ।

देवी,

श्रीमती,
राज्य शाखा, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मोटा रोड 2 रायदास रोड,
ग्रीन गिटर नई दिल्ली ।

दिनांक 17/11/1997

संख्या: राज/15/15 1471/1995

विषय:- माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नई दिल्ली से सम्बन्धित
हुए अनिर्धारित प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त प्रमाण पत्र पर ध्यान देने का निर्देश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिए जाने में
आ राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनिर्धारित नहीं है :-

- 111 विद्यालय का पंजीयन नवीकरणीय फा संभव समया पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय का प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
सर्वोच्च शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों में विभिन्न
वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान का मांग नहीं की
जायेगा और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/
केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय बोर्ड दि उच्चतर
स्कूल सर्टिफिकेट इकाई/मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस
परिषद/बोर्डों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से
मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 शिक्षा निदेशक एवं शिक्षणक्षेत्र कर्मचारियों को राजस्व सहायता प्राप्त
विद्यार्थियों के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य
मatters से कम वेतनमान तथा अन्य matters नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों को सेवा में नया नहीं आयेगा और उन्हें सहायता प्राप्त
आवधिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित
सेवा निर्धारित का नाम उपलब्ध कराये जायेगा ।

R. Ram
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Near F.C.I. Colony, Allpur Road
Badaun

Chyas
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Allapur Road, Badaun

- 18. ... 18. ... जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, सेवा प्राप्त करेगा।
- 19. विद्यालय का विनाश निश्चित प्रमाण/सिद्धांतों में रखा जायेगा।
- 19. ... में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 20. प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सेवा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:
 - 20.1 विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मानकानुसंग/न्यूनतम मजदूरी के अनुसंग दिया जायेगा।
 - 20.2 विद्यालय को सम्बन्धित हिन्दी माध्यम से प्राप्त की जायेगी तथा वहाँ भी हिन्दी माध्यम से कक्षाएँ जायेगी। इस संबंध में भारत को दिये गये संस्था के प्रधानाचार्य के शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भारतीय,
 1 अशोक मार्ग, मुंबई 400 001

Order 227/111/215-7-1997

प्रस्तावित निम्नलिखित की सुवार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रस्ताव :-

- 1- सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, दिल्ली।
- 3- ज्ञान विद्यालय निरीक्षक, पटना।
- 4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रमुख, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पटना।

[Handwritten Signature]

PRINCIPAL
 Maharishi Vidya Mandir
 Near P.C.T. Co-Edn. Allapur Road
 LUDHIANA - 141001

भारत से,
[Handwritten Signature]
 1 अशोक मार्ग, मुंबई 400 001

[Handwritten Signature]
 Principal
 Maharishi Vidya Mandir
 Allapur Road, Badaun